



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2012/चैत्र 2, 1934

No. 72]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2012/CHAITRA 2, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2012

सं. एल-1/(3)/2009-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सार्वजनिक संपत्ति अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया), का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) इस विनियम के खंड (6) और इंफर्म ऊर्जा के संबंध में पीपीए के किसी उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केन्द्र, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी हैं, की ऐसी इकाई, जिसे ग्रिड के लिए संयोजकता प्रदान की जा चुकी हो, को अपने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के

पश्चात् पहले समक्रमण की तारीख से छह मास की अनधिक अवधि के लिए परीक्षण के दौरान, जिसमें पूर्ण भार परीक्षण भी है, ग्रिड में इन्फर्म ऊर्जा के अंतःक्षेपण की अनुज्ञा दी जाएगी:

परंतु यह कि आयोग आपवादिक मामलों में, छह मास की अवधि के पूरा होने के कम से कम दो मास पूर्व उत्पादन कंपनी अंतःक्षेपण की परीक्षण अवधि, जिसमें पूर्ण भार परीक्षण भी है, को और आगे बढ़ा सकेगा:

परंतु यह कि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र ऐसी अनुज्ञा देते समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा:

परंतु यह कि यह साबित करने का दायित्व कि उत्पादन केन्द्र के यूनिट से इन्फर्म ऊर्जा का इंजेक्शन परीक्षण तथा कमीशनिंग के प्रयोजन के लिए किया गया है, उत्पादन कंपनी का होगा तथा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व ऊर्जा के अंतःक्षेपण के प्रत्येक अवसर की ऐसी जानकारी मांगेगा। इसके लिए, उत्पादक अंतःक्षेपण के दौरान और आशयित विनिर्दिष्ट परीक्षण तथा कमीशनिंग कार्यकलाप के पर्याप्त ब्यौरे प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को प्रदान करेगा:

परंतु यह कि इस प्रकार अंतःक्षेपित इन्फर्म ऊर्जा को उत्पादन केन्द्र की यूनिट (यूनिटों) का अननुसूचित विनियम (यूआई) माना जाएगा तथा उत्पादक को इन्फर्म ऊर्जा के ऐसे अंतःक्षेपण के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम प्रभार तथा संबंधित मामलों) विनियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार संदाय किया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (8) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित दो परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि ऐसी समर्पित लाइन का संनिर्माण क्षमता के तत्स्थानी फेजों में केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा, जिसके दिए गए समय के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए चालू होने की संभावना है कि उत्पादन कंपनी के मुख्य संयंत्र पैकेजों, जैसे थर्मल उत्पादन केन्द्र की दशा में, टर्बाइन आइलैंड, तथा स्टीम जनरेटर आइलैंड या ईपीसी संविदा तथा कमीशन किए जाने वाले फेज या फेजों की तत्स्थानी क्षमता के लिए हाइड्रो उत्पादन केन्द्र की दशा में, मुख्य सिविल संकर्म पैकेज या ईपीसी संविदा, ऐसी संविदा मूल्यों की राशि के न्यूनतम 10% के अधीन रहते हुए, के लिए अग्रिम में संदाय पहले ही कर दिया गया है:

परंतु यह है कि यदि उत्पादन परियोजना में विलंब होता है या इसे छोड़ दिया जाता है तो ऐसी समर्पित पारेषण लाइन के लिए पारेषण प्रभार उत्पादक द्वारा संदेय होंगे।

3. विनियम 12 का संशोधन: (1) मूल विनियम के विनियम 12 के खंड (1) के तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि इस पारेषण प्रणाली के ऐसे संवर्धन का संनिर्माण क्षमता के तत्स्थानी फेज में सीटीयू द्वारा या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किया जा सकेगा जिसके दिए गए समय-सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए चालू किए जाने की संभावना है कि उत्पादन कंपनी ने मुख्य संयंत्र पैकेजों, अर्थात् थर्मल उत्पादन केन्द्र की दशा में टर्बाइन आइलैंड और स्टीम जनरेटर आइलैंड या ईपीसी संविदा तथा कमीशन किए जाने वाले फेज या फेजों की तत्स्थानी क्षमता के लिए हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों की दशा में, प्रमुख सिविल संकर्म पैकेज या ईपीसी संविदा, ऐसी संविदा मूल्यों की राशि के न्यूनतम 10% के अधीन रहते हुए, अग्रिम में राशि दे दी है।

(2) मूल विनियम के विनियम 12 के खंड (1) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उत्पादन कंपनी से दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार पर हस्ताक्षर करके फायदाग्राहियों को फर्मिंग अप करने के पश्चात् ऊर्जा क्रय करार की प्रति के साथ उसे नोडल अभिकरण को अधिसूचित करने की, अपेक्षा की जाएगी।

4. विनियम 15क का जोड़ा जाना: मूल विनियम के विनियम 15 के पश्चात् एक नया विनियम 15क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"15क. ऊर्जा क्रय करार को समाप्त करने के बारे में सूचना: (1) जहां दीर्घकालिक पहुंच ग्राहक के ऊर्जा क्रय करार के संपूर्ण या उसके भाग को उक्त करार के उपबंधों के अनुसार या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय या अधिकरण द्वारा समाप्त किया जाता है, वहां दीर्घ-कालिक पहुंच ग्राहक द्वारा ऊर्जा क्रय करार की ऐसी समाप्ति की सूचना तत्काल किंतु जो ऐसी समाप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अन्यून हो, नोडल अभिकरण को दी जाएगी:

परंतु यह कि ऊर्जा क्रय करार की पारस्परिक समाप्ति या दीर्घ-कालिक पहुंच के प्रारंभ की अनुसूचित तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच ग्राहक द्वारा दीर्घ-कालिक पहुंच का उपयोग न किए जाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे दीर्घ-कालिक ग्राहक से दीर्घ-कालिक

पहुंच को अभ्यर्पित करने के लिए कह सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दीर्घ-कालिक पहुंच से किसी अन्य उत्पादन परियोजना, जिसने दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए आवेदन किया है, को क्षति होने की संभावना हो:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में समुचित निदेश के लिए आयोग के पास आ सकेंगे:

परंतु यह भी कि ऊर्जा क्रय करार की समाप्ति या पूर्ववर्ती दो परंतुकों के अनुसार दीर्घ-कालिक पहुंच को अभ्यर्पित करने पर, दीर्घ-कालिक पहुंच ग्राहक इन विनियमों के विनियम 18 के अधीन यथा अपेक्षित पारेषण प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

(2) इस विनियम के खंड (1) के अनुसार, सूचना की प्राप्ति पर नोडल अभिकरण यथास्थिति, उसी पारेषण कॉरीडोर के संपूर्ण या भाग के लिए मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए अन्य आवेदकों, यदि कोई हो, के आवेदन पर विचार करेगा।

5. विनियम 16 का संशोधन: मूल विनियम के विनियम 16 के पश्चात्, एक नया विनियम 16क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"16क. इन विनियमों के विनियम 15 के उपबंधों के अनुसार, ऊर्जा क्रय करार की समाप्ति या दीर्घ-कालिक पहुंच के अभ्यर्पण के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तथा इसमें यथा उल्लिखित दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदनों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् नोडल अभिकरण संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को कुछ अन्य आवेदक को दीर्घ-कालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने तक, समय-समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए शेष क्षमता पर विचार करने के लिए सूचित करेगा।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/11]

टिप्पण- मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड 4, संख्या 140 में तारीख 10.08.2009 का प्रकाशित किए गए थे तथा मूल विनियम के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड 4, संख्या 225 में तारीख 7.9.2010 को प्रकाशित किया गया था।